



बिहार सरकार

गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार

05, हार्डिंग रोड, पटना-800001

(वेबसाइट <https://csbc.bihar.gov.in>)

विज्ञापन संख्या - 01/2026

विशेष शाखा, बिहार में 'सिपाही' (सामान्य बंद संवर्ग) के पदों पर
नियुक्ति हेतु सूचना

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया दिनांक 06.02.2026 से प्रारंभ होगी।
ऑनलाइन आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 05.03.2026 ।

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को विशेष शाखा, बिहार में 'सिपाही' (सामान्य बंद संवर्ग) के पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-23/नियुक्ति-01-95/2025 -14558/सा0प्र0, दिनांक 06.08.2025 सह पठित गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार का पत्र संख्या-8/विविध-10-31/2025 गृ0आ0 9057, दिनांक 15.07.2025 एवं बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या - सा0शा0/सं0स0-121/2025/2605 दिनांक 01.07.2025 द्वारा आरक्षण कोटिवार अधियाचना प्राप्त है। 'सिपाही' (सामान्य बंद संवर्ग) के पद पर चयन की प्रक्रिया "बिहार पुलिस विशेष शाखा सिपाही (सामान्य बंद संवर्ग) नियमावली, 2024" (यथा अद्यतन संशोधित) एवं बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्र सं0/सा0शा0/सं0सं0-121/2025/6100 दिनांक 28.11.2025 में अंकित प्रावधानों/ निर्णय के तहत की जाएगी।

2. **रिक्ति :-** विशेष शाखा, बिहार में सिपाही (सामान्य बंद संवर्ग) में 'सिपाही' के रिक्त पदों (वितनमान लेवल-3 [₹ 21,700 – 69,100]) की संख्या **83 (तिरासी)** है, जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार है:

क्र0 सं0	आरक्षण कोटि	आरक्षण कोटि कोड	पदों की संख्या	महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण	स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित (FFW) के लिए क्षैतिज आरक्षण
1	2	3	4	5	6
1	गैर आरक्षित (UR)	01	34	12	02
2	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	07	08	03	
3	अनुसूचित जाति (SC)	02	13	05	
4	अनुसूचित जनजाति (ST)	03	01	00	
5	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	04	15	05	
6	पिछड़ा वर्ग (BC)	05	10	04	
7	पिछड़े वर्गों की महिलाएं (BCW)	06	02	00	
योग -			83	29	02

- स्तम्भ 5 एवं 6 की संख्या स्तम्भ 4 में सम्मिलित है।

नोट - 1. लिखित परीक्षा के पूर्व अधियाची प्राधिकार से प्राप्त नयी अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है, तथा/ अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

3. उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश पर्थद के वेबसाइट <https://csbc.bihar.gov.in> पर उपलब्ध हैं।

4. **‘सिपाही’ (सामान्य बंद संवर्ग) के पद पर आवेदन हेतु पात्रता -**

- इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक (Indian Citizen) ही आवेदन कर सकते हैं।
- शारीरिक मापदण्ड** - अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊँचाई/ सीना माप/ वजन होना चाहिए :

कोटि	ऊँचाई	सीना	
	न्यूनतम	न्यूनतम बिना फुलाये	न्यूनतम फुलाकर
गैर आरक्षित, पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	165 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	160 से.मी.	81 से.मी.	86 से.मी.
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	160 से.मी.	79 से.मी.	84 से.मी.
सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए	155 से.मी.	लागू नहीं	लागू नहीं
फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 05 से.मी. का अंतर होना अनिवार्य होगा।			
सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 कि.ग्रा. होना आवश्यक है।			

iii) **शैक्षणिक अर्हता** - विशेष शाखा, बिहार में ‘सिपाही’ (सामान्य बंद संवर्ग) के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

iv) **उम्र सीमा** - अभ्यर्थी की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जायेगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी:

- गैर आरक्षित कोटि के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 25 वर्ष;
- पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्षों का शिथिलीकरण, यानि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 27 वर्ष;
- पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र-सीमा में 3 वर्षों का शिथिलीकरण, यानि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष;
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र-सीमा में 5 वर्षों का शिथिलीकरण, यानि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष;
- बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का संकल्प संख्या 2374, दिनांक 16.07.2007 के आलोक में बिहार के सरकारी सेवकों द्वारा उच्चतर वेतनमान की सेवा/ संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

v) **आरक्षण :-**

i) आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही देय होगा।

ii) आवेदन-पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

iii) जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही देय होगा। **आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

iv) राज्य के बाहर के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना गैर आरक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी। तदनुसार उनके लिए गैर आरक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताएँ लागू होंगी। अतः अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र में स्वयं को गैर आरक्षित (सामान्य) कोटि का अभ्यर्थी घोषित करते हुए आवेदन समर्पित करें, अन्यथा स्थिति में उनका आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 12575 दिनांक 09 जुलाई, 2025 के आलोक में राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग के साथ गैर-आरक्षित वर्ग को भी) महिलाओं को ही, **‘सम्पूर्ण रूप से 35 प्रतिशत’** क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जाएगा। 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में इन रिक्तियों को अग्रणित किया जाएगा तथा पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में भी संगत कोटि के सुयोग्य महिला उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में गैर-आरक्षित एवं आरक्षित वर्ग की महिलाओं जो वरीयता क्रम (Merit List) में उपर हों, से भरा जा सकेगा।

महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35 प्रतिशत के अतिरिक्त यथास्थिति मेधानुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी।

vi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 2526 दिनांक 18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे **स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/ पोती/ नाती/ नतीनी को 2% क्षैतिज आरक्षण** देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 11687 दिनांक 30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/ नाती/ नातीनी होने का) प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। **स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी का परिचय पत्र मान्य नहीं है।**

vii) **अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों** को विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास/ मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

viii) **पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों** को जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र के साथ **क्रीमीलेयर रहित (Non Creamy Layer) प्रमाण-पत्र** प्रस्तुत करना होगा। उनके स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी/ राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र मान्य होगा। विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर (NCL) रहित प्रमाण-पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15440 दिनांक 05.12.2017 के अनुसार विहित प्रपत्र (फॉर्म - xviiiB) में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। **आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से।**

ix) “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये) आरक्षण अधिनियम, 2019” के प्रावधान लागू होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 एवं पत्रांक 12123 दिनांक 23.06.2023

के आलोक में **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आरक्षण कोटि के सदस्य** द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देय आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। **विवाहित महिला अभ्यर्थी** के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

xiii) निःशक्तजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम 49) के प्रावधानों के अधीन निःशक्तजनों के लिए किए गए आरक्षण के प्रावधान विशेष शाखा, बिहार में 'सिपाही' (सामान्य बंद संवर्ग) की नियुक्ति पर **लागू नहीं होंगे**।

xiv) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। **ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा**। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा तथा त्रुटिपूर्ण सूचना के आधार पर अभ्यर्थित्व रद्द भी किया जा सकता है। आरक्षण कोटि निम्नवत हैं:-

क्रम सं०	आरक्षण कोटि	ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि	कोटि कोड
1.	अनुसूचित जाति (Scheduled Caste)	SC	02
2.	अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe)	ST	03
3.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Class)	EBC	04
4.	पिछड़ा वर्ग (Backward Class)	BC	05
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section)	EWS	07

xv) उपर्युक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है।

xvi) **सभी वांछित प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (संशोधन किये जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि) तक का होना आवश्यक है**। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

5. **चयन के लिए परीक्षा संरचना** - 'सिपाही' (सामान्य बंद संवर्ग) की रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे:

(क) **प्रथम चरण - 'लिखित परीक्षा'** - (i) आवेदन-पत्रों के संग्रहण के उपरान्त, आवेदन-पत्रों की संवीक्षा की जायेगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सही पाये जायेंगे, उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहु-सत्रीय/ बहु-प्रश्नपत्रीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यीकृत (Normalized) अंकों की गणना इक्वि-पर्सेंटाइल पद्धति (Equi-Percentile Method) से की जाएगी।

(ii) लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं कक्षा (Matric) अथवा समकक्ष स्तर का होगा एवं प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे। **प्रथम प्रश्न पत्र** -

90 मिनट के समय में 100 प्रश्न पूछे जायेंगे जो 100 अंक का होगा। **द्वितीय प्रश्न पत्र** - 90 मिनट का होगा जिसमें 100 प्रश्न पूछे जायेंगे, इसका भी पूर्णांक 100 अंक होगा।

(iii) **ऋणात्मक अंकन (Negative Marking)** - उपर्युक्त कण्डिका (ii) में वर्णित दोनो प्रश्न पत्रों में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक दिये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जायेगा।

(iv) **लिखित परीक्षा का विषय एवं प्रकार** - लिखित परीक्षा ओ0एम0आर0 शीट आधारित होगी। ओ0एम0आर शीट/ उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति चयन पर्षद के पास रखी जायेगी तथा दूसरी प्रति अभ्यर्थी को दी जायेगी।

परीक्षा का प्रकार		समय	अंक
वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय परीक्षा	प्रथम पत्र- 100 अंक	90 मिनट	100 अंक
	(i) तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता (Reasoning and analytical ability) (50 अंक) (ii) अंग्रेजी व्याकरण, बोध एवं अनुवाद (English Grammar, Comprehension & Translation) (30 अंक) (iii) हिन्दी व्याकरण (20 अंक) (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जायेगा)		
	द्वितीय पत्र - 100 अंक	90 मिनट	100 अंक
	(i) सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना (50 अंक) (ii) गणित परिमाणात्मक कौशल (Mathematics and Quantitative Aptitude) (30 अंक) (iii) बिहार के सामान्य ज्ञान (20 अंक) (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जायेगा)		

(v) लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएँगे। दोनो प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षाओं में 30 प्रतिशत का न्यूनतम अर्हतांक अलग-अलग प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(vi) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 3 गुणा अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु किया जाएगा। कोटिवार समान कट-ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा।

(vii) शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से पर्षद द्वारा कम किया जा सकेगा।

(viii) बिहार पुलिस मुख्यालय पत्र सं0/सा0शा0/सं0सं0-121/2025/6100 दिनांक 28.11.2025 के आलोक में कण्डिका (iv) में वर्णित **दोनों प्रश्न पत्रों की लिखित परीक्षाओं को समेकित रूप से मुख्य लिखित परीक्षा की संज्ञा दी जाएगी तथा मुख्य लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार होगी।**

(ख) द्वितीय चरण - शारीरिक जाँच/ माप परीक्षा (PST) -

(i) लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक जाँच/ माप परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा।

(ii) अभ्यर्थियों को शारीरिक जाँच/ माप परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य होगा।

(iii) शारीरिक जाँच/ माप परीक्षा के न्यूनतम निर्धारित मापदण्ड/ मानदण्ड में कोई छूट अनुमान्य नहीं होगी।

(iv) शारीरिक मापदण्ड विज्ञापन की कण्डिका 4 (ii) के अनुरूप होंगे। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप योग्य नहीं पाये जायेंगे उन्हें असफल घोषित किया जायेगा। शारीरिक मापदण्ड के लिए कोई अंक देय नहीं होगा।

(ग) तृतीय चरण - दस्तावेज सत्यापन :

(i) शारीरिक जाँच/ माप परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, उम्र एवं आरक्षण दावों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन पर्सद द्वारा किया जाएगा।

(ii) दस्तावेज सत्यापन का कार्य यथासंभव शारीरिक जाँच/ माप परीक्षा के दिन ही किया जाएगा अथवा आवश्यकतानुसार इसके लिए अलग से तिथि निर्धारित की जाएगी। उस दिन अभ्यर्थी को निर्दिष्ट समय एवं स्थान पर सभी मूल प्रमाण-पत्रों तथा उनके एक स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा। निर्धारित तिथि को वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पर्सद अभ्यर्थी की अर्हता एवं आरक्षण आदि के दावे के संबंध में तदनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iii) अभ्यर्थी विज्ञापन के कंडिका 4 का अध्ययन भली भाँति कर लेंगे एवं आश्वस्त हो लेंगे कि उनके पास आवेदन भरते समय **शैक्षणिक अर्हता** एवं **आरक्षण** से संबंधित सभी दस्तावेज विहित प्रपत्र एवं सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्धारित काल अवधि/ कट-ऑफ तिथि के अनुसार मूल में उपलब्ध हैं।

(iv) दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे:

- i. वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान-पत्र, आदि।
- ii. जन्म तिथि प्रमाण-पत्र (मैट्रिक/ समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण-पत्र की मूल प्रति)।
- iii. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र।
- iv. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र।
- v. अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए -
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र; एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
- vi. पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए-
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र; एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र; एवं
 - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (Non-Creamy Layer Certificate); एवं
 - विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15440 दिनांक 05.12.2017 के अनुसार विहित प्रपत्र (फॉर्म - xviiiB) में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

- vii. स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित (FFW) अभ्यर्थियों के लिए -
- जिला पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/ नाती/ नतनी होने का) प्रमाण-पत्र (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं होगा); एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
- viii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए -
- सक्षम प्राधिकार द्वारा **वित्तीय वर्ष 2024-2025** के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में निर्गत प्रमाण-पत्र; एवं
 - स्थायी आवास प्रमाण-पत्र।
- ix. उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज जो राज्य सरकार यथा अद्यतन नीतिगत परिपत्रों अनुसार अभ्यर्थी के दावों के सत्यापन हेतु आवश्यक हों।

6. मेधा सूची का निर्माण -

(क) अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी।

(ख) अंतिम मेधा सूची के लिए आरक्षण कोटिवार न्यूनतम अर्हकारी अंकों का मानदण्ड सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या - 11/आ0-विविध-06/2017 सा0प्र0 12167 दिनांक 04.09.2019 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक (Minimum Qualifying Marks) के अनुरूप होगी, जो निम्नवत् है -

• गैर आरक्षित कोटि (सामान्य वर्ग)	-	40 प्रतिशत
• पिछड़ा वर्ग	-	36.5 प्रतिशत
• पिछड़ा वर्ग एनेक्शचर -1 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग)	-	34 प्रतिशत
• अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग एवं समस्त आरक्षित एवं गैर आरक्षित वर्ग की महिलाएँ	-	32 प्रतिशत

जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने में असफल रहेंगे, वे निरर्हित (Disqualify) घोषित किये जायेंगे।

(ग) लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में, मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण, उनकी जन्म तिथि की वरीयता के आधार पर किया जाएगा अर्थात् उच्च में वरीय अभ्यर्थी मेधाक्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जाएगा अर्थात् तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधाक्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्म तिथि वाले हों तथा समान शैक्षणिक योग्यता वाले हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके दसवीं बोर्ड परीक्षा के प्रमाण पत्र में यथा उल्लेखित नाम के हिन्दी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(घ) “केन्द्रीय चयन पर्षद” न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और आरक्षण कोटिवार एवं मेधा अंकों के घटते क्रम में अधियाचित संख्या अनुसार नामों की अनुशंसा करेगा।

7. **नियुक्ति प्राधिकार - विशेष शाखा के पुलिस अधीक्षक स्तर के पदाधिकारी होंगे।**

8. **चिकित्सीय परीक्षण** - नियुक्ति के पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 प्रपत्र संख्या 103 के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों का **चिकित्सीय परीक्षण नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कराया जाएगा।** आँख, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति एवं हकलाहट की भी जाँच की जायेगी। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाए गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

9. **अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान - नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति के पूर्व** सभी चयनित अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन बिहार पुलिस हस्तक, 1978 प्रपत्र संख्या 101 के अनुसार कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एवं/ अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएँगे। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

10. **आवेदन शुल्क** - बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग का संकल्प ज्ञापांक-21/आयोग-02/2018, सा0प्र0-15568 दिनांक 21.08.2025 के आलोक में अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य निम्नांकित है :

क्र० सं०	श्रेणी/ कोटि	आवेदन-पत्र का मूल्य
1	सभी श्रेणी/ कोटि के अभ्यर्थियों के लिए	रुपये 100/- (एक सौ) मात्र

नोट - अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा।

10. **कट-ऑफ तिथियाँ (Cut-off Dates)** - इस विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न कट-ऑफ तिथियाँ निम्न अनुसार रहेंगी:

i) उम्र सीमा के लिए -

(क) न्यूनतम उम्र के लिए - दिनांक **01.08.2026**;

(ख) अधिकतम उम्र के लिए - दिनांक **01.08.2026**;

ii) शैक्षणिक अर्हता के लिए - दिनांक 05.03.2026 (आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि);

iii) जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र के लिए - दिनांक 05.03.2026 (आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि);

iv) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र के लिए - दिनांक 05.03.2026 (आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि);

v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र के लिए - दिनांक 05.03.2026 (आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि)। वित्तीय वर्ष **2024-2025** के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे;

vi) स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड के लिए- दिनांक 05.03.2026 (आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि);

11. **ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश -**

i) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथियाँ निम्नांकित है :

1.	ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारम्भ तिथि	06.02.2026
2.	ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि	05.03.2026

ii) अभ्यर्थी अपना आवेदन विहित प्रपत्र में केन्द्रीय चयन पत्रद्वारा प्रकाशित विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अधीन पत्रद्वारा के वेबसाइट (Website) <https://csbc.bihar.gov.in> पर ऑन-लाइन समर्पित करेंगे।

iii) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर आवश्यक दिशा निर्देश ऑनलाइन आवेदन की तिथि से उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व इन दिशा निर्देशों का मली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें। **यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।**

iv) पंजीकरण और भुगतान करने से पहले एक वैध एवं सक्रिय मोबाइल नम्बर और ई-मेल आईडी रखें जो यथासम्भव अभ्यर्थी के नाम से पंजीकृत हो, उसका प्रयोग कर अभ्यर्थी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। **पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी अनिवार्य है।** यदि अभ्यर्थी की अपनी ई-मेल आईडी (e-mail Id) नहीं है तो बना लें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के क्रम में एवं चयन प्रक्रिया के दौरान आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण सूचनाएँ आवेदन में पंजीकृत ई-मेल आईडी (e-mail Id) एवं मोबाइल नम्बर पर साझा की जा सकती हैं। गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल आईडी के लिए पत्रद्वारा जिम्मेवार नहीं होगा।

v) अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र एवं बैंक शुल्क के मूल्य का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। अभ्यर्थी को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल आवेदन के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए। किसी भी मामले में सफल भुगतान के बाद आवेदन शुल्क की राशि लौटाई नहीं जायेगी।

vi) एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक ही आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन-पत्र भरते समय मोबाइल फोन अभ्यर्थी के पास होना चाहिए क्योंकि उसी मोबाइल नम्बर पर SMS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड (Password) भेजा जायेगा। यही रजिस्ट्रेशन आईडी एवं पासवर्ड (Password) अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भी भेजा जायेगा।

vii) आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं।

viii) एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है। किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

ix) अभ्यर्थी दसवीं/समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे। आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता आदि सभी सूचनाएँ सही-सही भरेंगे। **प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।**

x) **आवेदन-पत्र में यदि अभ्यर्थी गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी। अतः अभ्यर्थी पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं।**

xi) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट - <https://state.bihar.gov.in/> पर समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन अनुदेशों/आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें।

13. ऑनलाइन आवेदन पत्र :-

i) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी केन्द्रीय चयन पत्रद्वारा (सिपाही भर्ती) की वेबसाइट <https://csbc.bihar.gov.in> पर जाकर 'Bihar Police' के Tab या 'Advts by Group' में जाकर 'Advt. No.

[01/2026]' पर क्लिक करेंगे। इसी पृष्ठ पर दिये गये आवेदन-पत्र संबंधी लिंक पर क्लिक करने के पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

ii) विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाइट <https://csbc.bihar.gov.in> पर Bihar Police Tab के अंतर्गत विस्तार से बताया गया है। सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य (परीक्षा शुल्क के रूप में) पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा। आवेदन-पत्र का मूल्य ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। उक्त राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) अभ्यर्थियों से कोई राशि नहीं लेगी, किन्तु नेट बैंकिंग (Net Banking) या क्रेडिट/ डेबिट कार्ड (Credit/ Debit Card) प्रयोग करने पर बैंक चार्ज का वहन अभ्यर्थियों को करना होगा। देश में प्रचलित सभी क्रेडिट/ डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग के ट्रान्जेक्शन (Transaction) अनुमान्य होंगे।

iii) ऑनलाइन आवेदन पत्र दो भागों में भरा जायेगा - ऑनलाइन आवेदन-पत्र के प्रथम भाग में उम्मीदवार का सर्वप्रथम पंजीकरण किया जाता है। इसमें अभ्यर्थी का नाम, राष्ट्रीयता, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी, बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल), आरक्षण कोटि, लिंग, जन्म तिथि संबंधी जानकारी ली जाती है। तत्पश्चात् भुगतान की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सफल पंजीकरण के पश्चात मोबाइल फोन एवं ई-मेल आईडी के माध्यम से अभ्यर्थी को तत्काल पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड SMS/ E-mail द्वारा भेजा जाएगा। भुगतान के पूर्व अभ्यर्थी को अपने विवरण Edit (सुधार) करने की सुविधा है।

iv) **पंजीकरण रद्दीकरण** - यदि अभ्यर्थी ने गलत विवरण के साथ पंजीकरण किया है तो भुगतान के बाद वह ऐसे विवरण को एडिट (Edit) नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में अभ्यर्थी रद्दीकरण (Cancel Registration Form) प्रावधान का उपयोग कर अपने पंजीकरण को रद्द कर सकते हैं। किन्तु पहले भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा और नये पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन शुल्क देना होगा।

v) सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के पश्चात उपलब्ध कराये गये पंजीकरण नम्बर एवं पासवर्ड से लॉगइन (Login) करने के बाद **ऑनलाइन आवेदन-पत्र के द्वितीय भाग में** अभ्यर्थी को वांछित सूचनाएँ यथा- पिता/ पति का नाम, माता का नाम, पता एवं शैक्षणिक योग्यता आदि की सही जानकारी देते हुए घोषणा पर सहमति देनी होगी। इसके बाद (i) अभ्यर्थी का फोटोग्राफ, रंगीन एवं दो माह के अंदर खींचा हुआ, जिसका बैकग्राउंड सफेद हो, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, एवं (ii) हस्ताक्षर अंग्रेजी एवं हिन्दी में (काली एवं नीली स्याही से) अलग-अलग, 15 से 25 के0बी0 के बीच का, .jpg/.jpeg/.gif फॉरमेट में, जो सफेद बैकग्राउंड पर हो, ऐसे फोटो एवं हस्ताक्षरों को स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।

vi) फोटो एवं हस्ताक्षर के संबंध में दिये गये निर्देश का पालन न करने की स्थिति में अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन-पत्र रद्द/ निरस्त कर दिया जायेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड हो जाने के पश्चात पूर्णरूपेण भरे हुए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को अंतिम रूप से समर्पित (Submit) करने से पहले अभ्यर्थी "Edit Details" के बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। एक बार पुष्टि (Confirm) और समर्पित (Submit) करने के बाद आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते हैं। आवेदन-पत्र सबमिट करने के उपरांत अभ्यर्थी को उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर/ ई-मेल आईडी पर एक पुष्टिकरण संदेश (SMS/ E-mail) प्राप्त होगा तभी आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अंतिम रूप से सबमिट/ समर्पित किए गये आवेदन-पत्र के विवरण को सही मानते हुए पर्षद आवेदन-पत्र में किसी प्रकार के बदलाव की अनुमति नहीं देगा। अभ्यर्थी अब अपने भरे हुए आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) A4 साईज के पेपर पर प्रिंट (Print) कर उसे भली-भाँति जाँच लेंगे तथा भविष्य में किसी भी तरह के पत्राचार अथवा मांगे जाने पर उपस्थापित करेंगे।

vii) **गलत/ त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र को रद्द कर नया आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया** - जैसे अभ्यर्थी, जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली हो फिर भी किसी त्रुटि के दृष्टिगत अपना आवेदन Cancel करना चाहते हों, वे आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व अपने Application को Cancel करते हुए उसी Mobile No./ Email ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन एवं नये सिरे से परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क का भुगतान वापस नहीं किया जायेगा।

viii) ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचनाएँ मात्र डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती हैं। यदि उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा न मान्य होगा और न ही उसका लाभ देय होगा।

14. महत्वपूर्ण निर्देश -

i) अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी पर्षद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन/ कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

ii) भविष्य में पत्राचार/ जानकारी प्राप्त करने के लिए Registration Number आवश्यक है। अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र की पावती (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। केन्द्रीय चयन पर्षद से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की पावती (Acknowledgement) की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें।

iii) ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए पर्षद जिम्मेदार नहीं होगा।

iv) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जाएँ। भविष्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/ सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेवार होगा।

v) ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से अभ्यर्थिता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थिता के संबंध में अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों/ दस्तावेजों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शैक्षणिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के प्रमाण-पत्र/ प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख अभ्यर्थी ने अपने आवेदन-पत्र में किया है।

vi) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथियों का इंतजार नहीं करें एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लें।

vii) ऑनलाइन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/ गलत भुगतान/ असफल भुगतान (Unsuccessful Payment/ Transaction Status Pending) के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

viii) वैसे अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें बिहार लोक सेवा आयोग/ पर्षद/ अन्य चयन आयोग आदि द्वारा, निर्दिष्ट अवधि तक, कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। **अभ्यर्थियों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर पर्षद का निर्णय अन्तिम होगा।**

ix) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत/ भ्रामक सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। **गलत या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार पर्षद के पास सुरक्षित रहेगा।**

x) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये शैक्षणिक योग्यता एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए उन्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक अर्हता एवं आरक्षण आदि के दावों से संबंधित प्रमाण-पत्रों की जाँच दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रमाण-पत्रों से की जाएगी। मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने अथवा इसमें विसंगति अथवा त्रुटि अथवा गलत जानकारी प्रकाश में आने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

xi) जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द/ निरस्त कर दी जाती है, वे अभ्यर्थिता निरस्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं। अतः उन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नहीं दिया जायेगा।

15. **अभ्यर्थिता रद्दीकरण/ निरस्तीकरण** - अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि उन्होंने विज्ञापन में अंकित सभी निर्देशों, अर्हताओं एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है। किन स्थितियों में अभ्यर्थी का आवेदन/ अभ्यर्थिता रद्द हो सकती है उन्हें पूर्व कण्डिकाओं में स्पष्ट किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर भी बिना कारण बताये रद्द की जा सकती है:

- (i) आवेदन पत्र का प्रथम भाग (पंजीकरण) भरा जाना, परन्तु द्वितीय भाग को भर कर Submit न करना।
- (ii) आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर upload न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति, अन्य फोटो अथवा हस्ताक्षर अथवा अवांछित image का upload किया जाना।
- (iii) आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक से चार्ज बैंक के रूप में प्राप्त कर लेना।
- (iv) आवेदन में गलत सूचना दिया जाना।
- (v) गलत आरक्षण कोटि का भरा जाना अथवा गैर आरक्षित कोटि से संबंध रखने वाले आवेदक द्वारा किसी आरक्षण कोटि का दावा किया जाना।
- (vi) आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में गलत पाया जाना।
- (vii) आवेदन में जन्म तिथि गलत अंकित करना।
- (viii) आवेदन में गलत लिंग (Gender) अंकित करना।
- (ix) अभ्यर्थी का उम्मीदवारी की पात्रता पूर्ण न करना, जैसे - विनिर्दिष्ट तिथि को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर का होना, कट-ऑफ तिथि तक शैक्षणिक योग्यता धारण न करना, तथा भारत का नागरिक न होना आदि।
- (x) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र का प्रस्तुत न किया जाना।
- (xi) प्रमाण-पत्र का सही स्वरूप में प्रस्तुत/ समर्पित न करना, जैसे -
 - (क) आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी द्वारा पिता के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण-पत्र एवं क्रीमीलेयर से संबंध न रखने का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), समर्पित करने के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण-पत्र समर्पित करना उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, न कि विवाह से।
 - (ख) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में स्वयं को आरक्षण कोटि का होने का दावा करना परन्तु दस्तावेज जाँच में उन्हें दूसरी आरक्षण कोटि अथवा अनारक्षित कोटि का पाया जाना, आदि।
- (xii) अभ्यर्थी का किसी आपराधिक काण्ड/ गतिविधि में सम्मिलित पाया जाना।
- (xiii) अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक जाँच/ माप परीक्षा के क्रम में धोखाधड़ी करना अथवा प्रयास करना। इसमें पररूपधारण, कदाचार आदि कृत्य शामिल हैं।
- (xiv) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों को किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना अथवा देने का प्रयास करना।
- (xv) अन्य कोई परिस्थिति जो विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से भी प्रतियोगिता परीक्षा के कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई जाए।

16. आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त वैध आवेदन वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा/ चयन से संबंधित अग्रतर कार्यवाही के लिए प्रवेश-पत्र ऑनलाइन निर्गत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सूचना पर्षद की वेबसाइट पर यथासमय दी जायेगी।

17. चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में सामान्यतः एक वर्ष का समय लग सकता है, अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि वे तदनुसार लिखित परीक्षा, शारीरिक जाँच/ माप परीक्षा एवं अभिलेख संवीक्षा आदि के लिए अपनी उपलब्धता सुनिश्चित रखेंगे। किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा-पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।

18. इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ पर्षद की वेबसाइट <https://csbc.bihar.gov.in/> पर प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा।

19. बिहार परीक्षाओं का संचालन (अनैतिक साधनों की रोक थाम) अधिनियम, 2024 इस विज्ञापन के तहत आयोजित परीक्षाओं पर लागू रहेगा।

ह0/-

अध्यक्ष

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार

ज्ञापांक 05 /के0च0प0(सू0)

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार

05 हार्डिंग रोड, पटना- 800001

दिनांक 29/01/2026

प्रतिलिपि:-

1. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

ह0/-

अध्यक्ष

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार

Job Alert Live

Free Sarkari Job Updates & Notifications

Get the latest updates on [Sarkari Result](#), [Job Vacancy](#), Govt Job Notifications, Admit Cards, Exam Results, [10th Pass Jobs](#), [12th Pass Jobs](#), [ITI Pass Jobs](#), SSC Jobs, Railway Jobs, Police Jobs, Banking Jobs, Group D Jobs, and more.

■ Visit us daily: www.JobAlertLive.com

Disclaimer: This notification/document (except this current page) is originally published by the respective Official Department/Recruitment Board. We do not claim any ownership of the official content. The information is provided here only for educational and informational purposes. Always verify details from the official website before taking any action. Our main goal is to collect information from official source and share it with you...

For the latest and verified job updates, kindly visit our website: JobAlertLive.com

Note: This current page is added by JobAlertLive.com for better clarity. The main content belongs to the respective **Official Source**.



Thanks and regards..

Team: JobAlertLive

WWW.JobAlertLive.Com